



40 दिन बची हुई थी नौकरी, अंडा चोरी के आरोप में सस्पेंड हुए हेडमास्टर रूपनंदन



हाजीपुर. हाजीपुर जिले के लालगंज प्रखंड के मध्य विद्यालय रिखर के प्रिंसिपल सुरेश सहनी उर्फ रूपनंदन को अंडा चोरी करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पर आरोप है कि वह बच्चों के मिड डे मील के आए अंडे को घर ले जा रहे थे। अंडा को बैग में रखकर लेने का वीडियो वायरल हुआ तो जिला शिक्षा अधिकारी ने हेड मास्टर को नोटिस भेजकर लिखित में जवाब मांगा था।

40 दिन ही बची हुई थी नौकरी

इंडिया टीवी से बातचीत में प्रिंसिपल सुरेश सहनी उर्फ रूपनंदन ने बताया कि उनकी

नौकरी जनवरी 2025 तक ही शेष बची हुई है। इसके बाद वह रिटायर हो जाएंगे। इस पर जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि यह एक अलग विषय है कि उनकी नौकरी का कार्यकाल कितना बचा हुआ है। इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

जिला शिक्षा अधिकारी ने बैठाई जांच

इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र नारायण ने बताया कि वीडियो के आधार पर यह पाया गया कि अंडा चोरी किया गया है जिसको देखते हुए तत्काल हेडमास्टर को निलंबित किया गया है। इस मामले में एक विशेष टीम गठित कर जांच की जा रही है। जांच के बाद विभागीय

कार्रवाई भी की जा सकती है। 16 दिसंबर को शिक्षा विभाग ने आरोपी हेड मास्टर और जिला कार्यक्रम अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा था। जवाब नहीं देने पर 24 घंटे में कार्रवाई करने की बात कही गई थी।

अंडा चोरी का वायरल हुआ था वीडियो

बता दें कि अंडा चोरी करते हुए हेड मास्टर का वीडियो वायरल हो गया था। इसकी वजह से शिक्षा विभाग की किरकिरी हुई थी। वायरल वीडियो में यह साफ दिख रहा था कि आरोपी प्रिंसिपल खड़े हैं और मिड डे मील की गाड़ी से

उनको झोले में भरकर अंडा दिया जा रहा है। वह यह अंडा घर ले जाने वाले थे। वायरल वीडियो 12 दिसंबर का बताया जा रहा है लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद 16 दिसंबर को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आरोपी शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगा गया था।

18 दिसंबर को जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा अंडा चोरी के आरोप में लालगंज प्रखंड के मध्य विद्यालय रिखर के प्रधानाध्यापक के रूप में तैनात सुरेश साहनी को तत्काल निलंबित कर दिया गया है और उन्हें तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया है।

मुजफ्फरपुर में दरोगा समेत 134 पुलिसकर्मियों पर FIR

आठ थानों में केस दर्ज

मुजफ्फरपुर. बिहार के मुजफ्फरपुर में 134 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये पुलिसकर्मियों पीड़ितों को न्याय दिलाने में बाधा बन रहे हैं। आरोप है कि इन पुलिसकर्मियों ने तबादले के बाद 943 केस से जुड़ी फाइल संबंधित अधिकारी को नहीं सौंपी है। इस वजह से इन केसों में आगे की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसी वजह से इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिसकर्मियों को तबादले के बाद उन सभी केस की फाइल दूसरे अधिकारी को सौंपनी होती है, जिन पर वह काम कर रहे हैं, लेकिन 134 पुलिसकर्मियों ने ऐसा नहीं किया है। अगर इन पुलिसकर्मियों ने केस से जुड़ी फाइल दूसरे अधिकारी को नहीं सौंपी तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

एसएसपी राकेश कुमार के आदेश पर तबादले के बाद भी केसों का प्रभार नहीं सौंपने के मामले में मुजफ्फरपुर के विभिन्न थानों में दरोगा समेत 134 पुलिसकर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। पीड़ितों को



न्याय दिलाने में बाधा बने 134 अधिकारियों पर नामजद विश्वाघात की धारा लगाई गई है।

क्या है मामला?

बताया गया कि पिछले दिनों लंबित केसों की समीक्षा में यह मामला सामने आया था। इसके बाद वरीय पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर विभिन्न थानों में मामला दर्ज किया गया। आरोपित सभी केस के आईओ जिला से ट्रांसफर होकर दूसरे जिले में चले गए। साथ में 943 आपराधिक वारदातों की जांच फाइल भी ले गए। इस कारण पांच से दस साल से अधिक

समय से सैकड़ों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं और पीड़ित न्याय के लिए दौड़ते-दौड़ते थक कर घर बैठ गए।

किस थाने में कितने अधिकारियों पर मामला दर्ज

काजीमोहम्मदपुर थाने में 11, सदर में 21, ब्रह्मपुरा में 27, अहियापुर में छह, नगर में 54 समेत अन्य थाने में मिलाकर कुल 134 पुलिस पदाधिकारियों पर मामला दर्ज किया गया है। ये सभी वैसे पुलिस पदाधिकारी हैं, जिनका तबादला पांच से 10 वर्षों पूर्व दूसरे थानों और अन्य जिले में हो गया, लेकिन

केसों का प्रभार नहीं सौंपा गया। इसके कारण जांच प्रभावित हो रही है। काजी मोहम्मदपुर थानाध्यक्ष रवि कुमार गुप्ता द्वारा कराई गई प्राथमिकी में कहा कि दैनिकी प्रतिवेदन के अवलोकन से पाया गया कि काजीमोहम्मदपुर थाना में पूर्व में पदस्थापित पदाधिकारी बहुत सारे केसों का प्रभार बिना सौंपे स्थानांतरित होकर दूसरे थाने व जिले में चले गए हैं। कई बार सूचित करने के बाद भी संबंधित पुलिस पदाधिकारियों द्वारा केसों का प्रभार नहीं सौंपा गया।

दस साल से नहीं सौंपी फाइल

काजी मोहम्मदपुर थाना में दस साल से अधिक समय से केस में अनुसंधान का चार्ज व केस फाइल लेकर लापता चल रहे तत्कालीन दरोगा भुनेश्वर सिंह, फुलजेम्स कंडोला, सरोज कुमार, गोपाल पांडेय, राधा सरन पाठक, देवेन्द्र प्रसाद, रामाधार सिंह, विश्वनाथ झा, दिनेश महतो, सुनील कुमार और विजय सिंह को आरोपित बनाया गया है। दस साल में कई बार इन सभी दरोगा को पत्राचार कर केस फाइल सौंपने को कहा गया है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

शराबी पिता ने अपने ही बेटे की गला दबाकर की हत्या, फिर चाकू से किया हमला

कैमूर. जिले के भभुआ थाना क्षेत्र के अखिलासपुर गांव के में शराबी पिता ने शराब के नशे में चूर होकर अपने ही बेटे की गला दबा कर हत्या कर दी। इतने से भी आरोपी का जी नहीं भरा तो उसने अपने बेटे के शरीर पर कई जगह चाकू से वार किया। घर वालों को जब इस बात की जानकारी हुई तो डायल 112 को घटना की सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इसके अलावा शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भभुआ भेज दिया गया है। आरोपी पिता को गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। मृत किशोर भभुआ थाना क्षेत्र के कैलाशपुर गांव के विनोद राम का 14 वर्षीय पुत्र आजाद कुमार बताया जा रहा है।

विकलांग होने की वजह से भाग नहीं सका मृतक

मृतक के भाई भीष्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरे छोटे भाई आजाद को पापा ने शराब के नशे में गला दबाकर हत्या कर दी। पिता ने उसकी आंख भी फोड़ दी है। हमको और हमारी मम्मी को भगा



दिए थे। मेरा भाई विकलांग था, जिस कारण वह घर में ही रह गया। हम लोगों को अंदाजा नहीं था कि वह हत्या कर देंगे। जब मम्मी घर गई तो घटना की जानकारी हुई। इसके बाद डायल 112 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया गया। हम लोग शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए आए हुए हैं। वहीं भभुआ डीएसपी शिव शंकर कुमार ने बताया कि अखिलासपुर गांव के झुग्गी झोपड़ी के रहने वाले विनोद राम ने अपने 14 वर्षीय विकलांग बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी

है। शरीर के कई अंगों पर भी चाकू से भी गोदने के निशान मिले हैं। आरोपी अपनी पत्नी और बड़े बेटे के साथ भी झगड़ा कर रहा था तो वह लोग भाग गए। मृतक विकलांग था जिस वजह से भाग नहीं पाया। हत्या के बाद फिलहाल आरोपी फरार है। उसकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसके अलावा इलाके में जो भी शराब बेचने वाले तस्कर होंगे उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कोडरमा से आ रहे कंटेनर के पीछे पड़ी पटना पुलिस

बाइपास में रोका और शटर हटाया तो हैरान रह गई

पटना. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद एवं मद्य निषेध की टीम और पटनासिटी की बाइपास थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर बड़ा भंडाफोड़ किया है। बाइपास थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी इलाके में छापेमारी कर एक कंटेनर ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। उत्पाद एवं मद्य निषेध और पुलिस की टीम ने कंटेनर ट्रक से लगभग 500 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 30 लाख के आसपास बताई जाती है। पुलिस ने मौके से कंटेनर ट्रक के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार ड्राइवर की पहचान राजस्थान निवासी लक्ष्मण राम के रूप में की गई है।

बताया जाता है कि अवैध शराब माफियाओं द्वारा झारखंड के कोडरमा से अवैध शराब की एक बड़ी खेप को कंटेनर ट्रक में भरकर उसे वैशाली जिला ले जाया जा रहा



था। इसी दौरान इस बात की भनक उत्पाद एवं मद्य निषेध की टीम को लग गई और उत्पाद एवं मद्य निषेध की टीम ने बाइपास थाने की पुलिस से संपर्क कर संयुक्त छापेमारी अभियान चलाकर अवैध शराब लदे कंटेनर ट्रक को जब्त कर लिया।

मौके पर मौजूद पटनासिटी डीएसपी 2 डॉ गौरव कुमार ने बताया कि अवैध शराब माफियाओं द्वारा शराब की एक बड़ी खेप को

झारखंड के कोडरमा से वैशाली जिला ले जाया जा रहा था, जिसको नए साल में खपाने की योजना थी। डीएसपी ने गिरफ्तार कंटेनर ट्रक ड्राइवर की निशानदेही पर अवैध शराब माफियाओं की पहचान कर उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाने का भी भरोसा दिलाया है। फिलहाल पुलिस अवैध शराब माफियाओं की पहचान और उनकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी अभियान में जुट गई है।

दिल्ली में ट्रांसपोर्ट विभाग की सख्त कार्रवाई, 4,188 गाड़ियां की जब्त

नेशनल डेस्क. दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार का ट्रांसपोर्ट विभाग सख्त कार्रवाई कर रहा है। गाड़ियों के धुएँ से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने विशेष टीमें बनाकर दिल्ली के सभी प्रमुख बॉर्डर्स और शहर के अंदर जगह-जगह निगरानी बढ़ा दी है। इसके अलावा कैमरों की

मदद से भी गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है। 16 दिसंबर से ग्रेप-4 (ग्रेडेड रिसपास एक्शन प्लान) के दोबारा लागू होने के बाद विभाग ने कार्रवाई और तेज कर दी है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग के सूत्रों के अनुसार, इस महीने एनफोर्समेंट की टीमों ने अब तक 3,000 से ज्यादा चालान काटे हैं और 4,188 गाड़ियों को जब्त किया है। इन्में डीजल की 10 साल और पेट्रोल की 15 साल पुरानी गाड़ियां शामिल हैं। दिल्ली में इन

गाड़ियों का चालाना प्रतिबंधित है। इसके अलावा ग्रेप-4 के तहत पेट्रोल की बीएस-3 और डीजल की बीएस-4 गाड़ियों को भी चलाने की अनुमति नहीं है। विभाग की टीमों इन गाड़ियों पर विशेष ध्यान दे रही हैं। 1 से 19 दिसंबर के बीच विभाग ने डीजल की 10 साल पुरानी 153 गाड़ियां जब्त की हैं। पेट्रोल की 15 साल पुरानी 3,273 टू-व्हीलर, 496 श्री-व्हीलर और 4-व्हीलर गाड़ियां भी जब्त की गईं।

डिप्टी CM सम्राट ने बिहार के विकास में केंद्र से सहयोग की अपील

पटना. बिहार के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट-पूर्व चर्चा में राज्य की विकास योजनाओं के लिए विशेष सहयोग की अपील की। उन्होंने बिहार की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं को स्पष्ट करते हुए एक 32 पन्नों का ज्ञापन सौंपा। साथ ही, उन्होंने पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे और अन्य सड़क परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया।

बिहार की मांग उदारतापूर्ण बजट प्रावधान

उपमुख्यमंत्री चौधरी ने 2025-26 के केंद्रीय बजट में बिहार के लिए अधिक बजट प्रावधान की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 5.0 की शुरुआत की अपील की, ताकि ग्रामीण पथों को चौड़ा और सुदृढ़ किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह योजना न केवल कनेक्टिविटी बढ़ाएगी बल्कि ग्रामीण विकास को भी गति देगी।

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना सम्राट चौधरी ने धार्मिक पर्यटन के विकास के

लिए पशुपतिनाथ (नेपाल) से वैद्यनाथ धाम (झारखंड) तक एक 250 किमी लंबा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव रखा। यह कॉरिडोर बीरपुर-बिहपुर-अगुआनी-सुल्तानगंज-देवघर एक्सप्रेस-वे के रूप में तैयार होगा, जिससे कोशी अंचल और पूर्वांचल के पथ संपर्क में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि इस कॉरिडोर से न केवल पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा।

उत्तरी और दक्षिणी बिहार को जोड़ने की पहल

क्षेत्रीय असमानता को खत्म करने और उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए सम्राट चौधरी ने लदनिया से नवादा तक 270 किमी लंबे हाई-स्पीड कॉरिडोर के निर्माण का प्रस्ताव रखा। इस परियोजना से न केवल परिवहन तेज होगा बल्कि उद्योग और व्यापार में भी सुधार आएगा। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि रक्सौल-दिघवारा हाई-स्पीड कॉरिडोर को कालूघाट अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल से जोड़ा जाए। यह 135 किमी लंबा कॉरिडोर नेपाल के साथ वाणिज्यिक संबंधों को

मजबूत करेगा।

रेलवे विश्वविद्यालय और नई रेल लाइनों की मांग

भाजपा नेता ने रेलवे क्षेत्र में शैक्षिक और शोध जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जमालपुर में पीएम गतिशक्ति रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग की। उन्होंने कहा कि यह कदम रेलवे क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन तैयार करने में मदद करेगा। उन्होंने दो नई रेल लाइनों के लिए भी प्रावधान की मांग की- पहली बिहटा से औरंगाबाद और दूसरी सुल्तानगंज से देवघर तक।

शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल

बिहार में शिक्षा को मजबूती देने के लिए उपमुख्यमंत्री ने राज्य में 10 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की मांग की। उन्होंने कहा कि यह नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों को पूरा करने और राज्य के शैक्षिक प्रदर्शन को सुधारने में सहायक होगा। इसके साथ ही उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार के लिए आगामी बजट में विशेष प्रावधान की अपील की। उन्होंने याद दिलाया कि यह परियोजना प्रधानमंत्री पेंकज 2015 का हिस्सा है।

सड़क परियोजनाओं पर विशेष जोर

उपमुख्यमंत्री ने पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे और पांच अन्य बड़ी सड़क परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहयोग की मांग की। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से बिहार में परिवहन नेटवर्क सुदृढ़ होगा और विकास की गति तेज होगी।

केंद्र से अपेक्षाओं पर जोर

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने राज्य की भौगोलिक और सामाजिक चुनौतियों का जिक्र करते हुए केंद्र से विशेष आर्थिक पेंकेज की मांग की। उन्होंने कहा कि यह कदम राज्य के पिछड़ेपन को दूर करने में सहायक होगा।

प्रधानमंत्री का जताया आभार

सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में बिहार को कई बड़ी परियोजनाएं मिली हैं। उन्होंने राज्य के विकास के लिए अपने प्रयास जारी रखने और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई।